कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/1446/2140 दिनांकः– 19.12.14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, जमुई के वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 869/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

18/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Spl. Sec.
सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्र — 24 DEC 2014 — बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्र पंजी — 26 DEC 2014 — संख्या 9951 — बिहार, पटना

नगर परिषद्, जमुई
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–869/13–14
वर्ष– 2012–13

1. प्रस्तावना–

नगर परिषद् जमुई के वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 16.04.13 से 14.05.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नुरेसा खातुन	01.04.12 से 31.03.13

(ख) उप–सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल प्रसाद साह	01.04.12 से 31.03.13

(ग) कार्यपालक पदाधिकारी

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार मिश्रा	01.04.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– I पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय उसके द्वारा किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है। परंतु नगर परिषद् की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण

1140

कई प्रकार की अनियमितताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियाँ, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना तथा समय- समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः परिषद् प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जाँच की व्यवस्था की जाए।

5. आय- व्यय विवरणी

लेखापाल रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान आय- व्यय की विवरणी निम्न है -

क्र0सं0	मद	राशि
1	प्रा0 शेष	15488778.00
2	प्राप्ति	
	चतुर्थ वित्त आयोग	17713722.00
	13 वी वित्त आयोग	8496000.00
	कबीर अन्त्येष्टि योजना	1260000.00
	पर्यवेक्षक प्रगणक हेतु मानदंड	508200.00
	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	3098350.00
	सम विकास योजना	667848.00
	स्वयं के स्त्रोत	5930795.00
	अन्य	620963.00
3	कुल प्राप्ति 2(i) से 2(iii)	38295878.00
4	कुल (1+3)	53784656.00
5	व्यय	17143200.00
6	अन्तशेष (4-5)	36641456.00

उपरोक्त के अतिरिक्त BRGF एवं SJSY का अलग रोकड़बही संधारित किया गया था जिसका आय- व्यय निम्नवत् है-

मद	**BRGF**	**S.J.S.Y**
	2012-13	2012-13
प्रा0 शेष	9488485	2081456
अनुदान	781191	7500000
ब्याज	46259	41513
अन्य		
वर्ष की कुल प्राप्ति	827450	7541513
कुल प्राप्ति	10315935	9622969
व्यय		

(1) योजना व्यय	5646473	721000
(2) अन्य व्यय		
कुल व्यय	5646473	721000
अन्त शेष	4669462	8901969

बैंक शेष - कैनरा बैंक जमुई A/c - 2944101003080 C.B 31.03.2013 ₹4906711/-	यूका बैंक जमुई A/C - 12180100022202 C.B 31.03.2013 ₹7955971/- यूनियन बैंक जमुई A/C - 372802010005960 ₹1009543.25

कोषागार पासबुक में प्रा0 शेष तथा अन्तशेष की राशि कोषागार से अद्यतन करवाकर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। जबाव मे कहा गया कि कोषागार कार्यालय जमुई से पासबुक अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है।

रोकड़बही की त्रुटियाँ

रोकड़बही के संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :-

1) आय - व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया।

2) प्रा0 शेष अंतशेष का विश्लेषण नहीं किया गया।

3) माह के अन्त मे रोकड़बही के अवशेष को बैंक/कोषागार शेष के साथ मिलान नही किया गया।

4) प्राप्ति पक्ष में पूर्ण विवरण नही पाया गया।

5) व्यय पक्ष में कई स्थानों पर तिथि नहीं पायी गयी।

जबाव में कहा गया कि रोकड़बही के त्रुटियों का निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है।

6. माँग एवं वसूली पंजी (निजी भवन)

नगर परिषद जमुई में भवन कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया। माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नही करने के कारण भवन कर से संबंधित वसूली की जाँच नहीं की जा सकी। नगर परिषद एक स्ववित्त पोषित संस्था है तथा इसका आय का मुख्य स्रोत होल्डिग टैक्स है। माँग व वसूली पंजी का सधारण नहीं होने से नगर परिषद पूरी तरह से कर संग्रहकर्ता के ऊपर आश्रित है।

1138

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार भवन कर का माँग वसूली एवं बकाया का विवरण निम्न है –

माँग		वसूली		अवशेष	वसूली का प्रतिशत
बकाया	हाल	बकाया	हाल		
3496787	2432000	626485	263384	5038918	15 %

उपरोक्त के अनुसार वसूली का प्रतिशत 15 (889869X100/5928787) है। जो कि सरकार द्वारा निर्धारित 85% से काफी कम है।

जबाव में कहा गया कि नगर परिषद जमुई में एक भी कर संग्रहकर्त्ता तथा टैक्स दरोगा पदास्थापित नही है। तथापि मांग वसूली पंजी का संधारण हेतु प्रभारी टैक्स दारोगा को निर्देश दिया जा रहा है। अतः करों की वसूली के संबंध में यथोचित कदम उठाया जाये।

7. सरकारी भवन का बकाया भवन कर

लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराए गये ऑकड़ो के अनुसार नगर परिषद, जमुई मे विभिन्न सरकारी भवनों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कुल ₹2473531/- बकाया था। बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाए तथा फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय। जबाव में कहा गया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

8. खतरनाक व्यवसाय

खतरनाक व्यवसाय से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी के अनूसार वर्ष 31.03.2013 की अवधि तक कुल ₹168355.00 वसूली हेतु बकाया था। राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ। जबाव में कहा गया कि खतरनाक व्यवसाय में बकाया वसूली हेतु नोटिस दिया जा रहा है।

9. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर जमा नहीं

सरकारी निर्देशानुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रुप मे जमा की गई राशि में से 10% कटौती किए जाने उपरान्त शेष 90% संबंधित विभाग मे जमा किए जाने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराये गये आकड़े के अनुसार ₹266952.00 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर

के रूप मे वसूल किये गये परन्तु नियमानुसार जमा नही किया गया। जबाव में कहा गया कि नगर परिषद जमुई की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर अनुपालन किया जायेगा।

10 विलोपित

11. मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक- 1920/ नि0/ मु0 स0 दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव- सह- महानिरीक्षक पंजीयन बिहार के पत्रांक 13.03.2005 के निदेशानुसार सैरातों की बन्दोबस्ती किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की वसूली कर सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करना है।

परन्तु नगर परिषद द्वारा मुद्रांक शुल्क की राशि ₹138420.00 वसूल नही किया गया जिसका विवरण निम्नाकिंत है। अतः उक्त राशि संबंधित/ जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर संबंधित खाता में जमा किया जाए।

क्र	सैरात का नाम	बन्दोबस्तधारी का नाम	बन्दोबस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क
1	जमुई बस स्टैंड	श्री प्रणय कुमार सिंह	1099700	32991
2	अतिथि पैलेस मोड़ के पास ट्रक - ट्रैक्टर से चुंगी	श्री जयकेश कु0 सिंह	1015000	30450
3	वोद्यवन तालाब के पास टैक्सी - मेंक्सी स्टैण्ड	श्री दिनेश कुमार	426000	12780
4	अपर समाहर्त्रा के पीछे जमुई मलयपुर टैक्सी - मेक्सी स्टैण्ड	श्री पवन कु0 सिंह	799100	23973
5	लखीसराय बायपास पर टैक्सी - मेंक्सी स्टैंड	श्री मंडल रामचन्द्र	417500	12525
6	ट्रक - ट्रैक्टर से बालू ले जाने पर चुंगी	श्री मनोरंजन सिह	551000	16530
7	टिन - टिकट	श्री विजय बहादुर सिंह	26700	801
8	सड़क किनारे चुंगी वसूली	श्री शंभु शरण सिंह	43600	1308
9	रमेश भालोटिया तेल गोदाम के सामने टेम्पो स्टैंड	श्री आशीष कुमार	233200	6996
10	ट्रैचिग ग्राउण्ड	श्री प्रकाश साह	2200	66
			कुल	138420

जबाव में कहा गया कि नगर परिषद जमुई में वर्ष 2012-13 के पूर्व मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जाता था किन्तु वर्ष 2012-13 में वैसे बन्दोबस्तधारी जिन्होने पुनः बन्दोवस्ती के लिए

1136

डाक में भाग लिया उनसे मुद्रांक शुल्क वसूल किया गया। बकायेदारों को नोटिस किया गया है। तथा वर्ष 2013-14 से सभी वन्दोवस्तीधारियों से पूर्ण वसूली की गई है।

12. कम जमा / नही जमा

श्री चंदन कुमार शर्मा द्वारा काटे गए होल्डिंग रसीद के नमूना जाँच में पाया गया कि रसीद सं0 2572 से 2591 तक ₹41865.00 की राशि वसुल की गई परन्तु इसे नगर परिषद, जमुई के कोष में जमा नही पाया गया जिसका विवरण निम्न है-

दिनांक	रसीद सं0	राशि
11.3.2013	2572-2576	1038.00
22.3.2013	2578-2591	40827.00
	कुल	41865.00

अतः उक्त राशि को वसुल कर संबंधित खाते में जमा करने का प्रमाण अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए। जबाव में कहा गया श्री चन्द्रन कुमार शर्मा द्वारा राशि नगर परिषद में जमा की जा चुकी है परन्तु इसका प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. रसीद बुक अप्रस्तुत

रसीद बही भंडार पंजी के अनुसार निम्न रसीद बुक अभी तक अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –

क्र0सं0	निर्गत की तिथि	रसीद संख्या	किसे जारी किया गया
1	12.5.08	3301-3400	श्री गिरधर सिंह
2	18.7.08	3801-3900	श्री गिरधर सिंह
3	19.1.09	4701-4800	श्री गिरधर सिंह
4	15.6.09	601-700	श्री गिरधर सिंह
5	26.8.09	1001-1100	श्री गिरधर सिंह
6	12.11.09	1601-1700	श्री गिरधर सिंह
7	4.2.10	2401-2501	श्री गिरधर सिंह
8	6.5.10	2901-3000	श्री गिरधर सिंह
9	21.7.10	3501-3600	श्री गिरधर सिंह
10	19.1.11	3801-3900	श्री गिरधर सिंह
11	23.3.11	4301-4400	श्री गिरधर सिंह
12	5.5.11	4801-4900	श्री गिरधर सिंह
13	18.6.09	6201-6300	मो0 सगीर अहमद, सफाई निरीक्षक

यद्यपि पूर्ववर्ती एवं वर्तमान लेखापरीक्षा में भी अनेक बार अनुरोध किये जाने के बाद इसे अंकेक्षण मे प्रस्तुत नही किया गया।

जबाव में कहा गया कि क्रम सं0 01 से 12 के सन्दर्भ में एच रसीद श्री गिरधर सिंह को निर्गत किया गया था जिनके सेवानिवृत के पश्चात् श्री त्रिपुरारी ठाकुर को प्रभार में दिया गया था। उक्त रसीदों की राशि को जमा पंजी एवं डिमान्ड पंजी से मिलान किया गया। तदनुसार राशि जमा कर दिया गया है। क्रम सं0 13 एच रसीद के विषय में मो0 सगीर अहमद से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन स्थगित रखा गया है तदनुसार अग्रेतर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अप्रस्तुत रसीदों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त रसीदों द्वारा वसूली गई राशि के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सभी रसीदों द्वारा वसूली गई राशि के जमा को विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाये तथा जमा से संबंधित साक्ष्यों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

14. दुकान का बकाया किराया

दुकानों से संबंधीत माँग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार न0 प0 जमुई के अन्तर्गत 20 दुकानें हैं। वर्ष 2012-13 तक इन दुकानों पर कुल ₹194400/- बकाया थी।

जबाव में कहा गया कि बकाये किराये की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(1) दुकान का आबंटन 2001 में किया गया है।

(2) आवंटन के समय प्रारंभिक किराया ₹400/- प्रतिमाह था।

(3) किराया में वृद्धि अभी तक नही हुई है वृद्धि हेतु प्रयास किया जा रहा है।

(4) किराया एकरारनामा एवं संचिका अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायगा।

बकाया राशि की वसूली हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाए तथा फलाफल से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

15. अनुदान

नगर परिषद, जमुई में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। जिसके कारण दिनांक 01.04.2012 को अव्यतित अनुदान वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त तथा व्यय अनुदान की राषि तथा दिनांक 31.

1134

03.2013 को शेष अनुदान का पता नही चल सका। यद्यपि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों मे भी अनुदान पंजी संधारण करने का सुझाव दिया गया था। उसके बावजूद भी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹32470951.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ। अतः अनुदान पंजी का यथाशीघ्र संधारण कर अगले अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाए। रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार अनुदान की स्थिति निम्नलिखित थी–

क्रम सं0	रोकड़बही के अनुसार प्राप्ति की तिथि	पत्रांक / चेक सं0 एवं तिथि	राशि	उद्देश्य
1	PL / 21.5.2012	60/19.3.12	7252112.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
2	PL / 21.5.2012	60/19.3.12	5293734.00	तथैव
3	PL /21.5.2012	61/19.3.12	5000000.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
4	PL. /21.5.2012	62/19.3.12	167876.00	तथैव
5	PL. /21.5.2012	24/23.8.2011	3100000.00	13 वित्त आयोग
6	PL/13.9.2012	157934/30.8. 2012	1260000.00	कबीर अन्तयेष्टि योजना
7	PL. /12.10.2012	T.A -17 स्टाम्प प्रा0 217/30.7.2012	3098350.00	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
8	P.L/12.12.2012	1/4.4.2012	2050000.00	13वीं वित्त आयोग
9	P.L/12.12.2012	19&29/19.7.2012	3346000.00	तथैव
10	P.L/12.12.2012	723203/6.12. 2012	667848.00	सम विकास योजना
11	P.L/7.9.2012	997553/14.8. 2012	508200.00	पर्यवेक्षक प्रगणक व मस्टर ईन्र को मानेदय
12	B.R.G.F/July/ 12		781191.00	B.R.G.F
13	S.D.S.R.Y/NOV/12	R.T.G.S.	7500000.00	S.J.S.R.Y
		कुल	37235311.00	

जबाव में कहा गया कि नगर परिषद, जमुई में अनुदान पंजी का संधारण किया गया है। उसे अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है।

16– विलोपित

17. आई.डी.एस.एम.टी. योजना की राशि का अवरोधन (1433722)

आई. डी. एस. एम. टी योजना से संबंधित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹1433722.00 दिनांक 31.05.2010 से यथावत पड़ी हुयी है। इस प्रकार लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो जान के पश्चात भी राषि का व्यय नहीं हुआ है। जबाव में कहा गया कि आई. डी. एस. एम. टी. योजना की अवषेष राषि के सन्दर्भ में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गयी है तदोपराँत इस पर निर्णय लिया जाएगा।

18. प्रशासनिक भवन की निधि का अवरोधन

नगर विकास विभाग के पत्र संख्या 3120/17.06.2008 द्वारा ₹3879075.00 (कुल राशि ₹5172100 का 70%) नगर परिषद, जमुई के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ। नगर परिषद द्वारा पत्रांक–220 दिनांक 07.03.2012 के माध्यम से उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया गया कि नगर परिषद जमुई को भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं कराया जा सका। संचिका के अनुसार मार्गदर्षन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा इसके बाद कोई पत्राचार नही किया गया है।

जबाव में कहा गया कि विभाग से पत्राचार किया गया है तथा समीक्षात्मक बैठक में अनुरोध किया गया है।

19. जमा पंजी का संधारण नहीं

नगर परिषद, जमुई के रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न ठेकेदारों/ एजेंसियों से कटौती की गई राशि यथा सिक्यूरिटी जमा राशि आदि के वापसी में संलग्न सूची के अनुसार वर्ष 2012–13 में ₹599200.00 (पांच लाख निनांबे हजार दो सौ रूपये) का भुगतान किया गया। परन्तु नगर परिषद, जमुई द्वारा भुगतान की गई राशि के समर्थन में जमा पंजी में संबंधित प्राप्तकर्ता के विरूद्ध जमा राशि का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर परिषद, जमुई में जमा पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे भुगतेय राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

जबाव में कहा गया कि जमा पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा।

(परिशिष्ट– III)

20. गाड़ी का निबंधन वं बीमा नहीं

नगर परिषद, जमुई के पास 3 ट्रैक्टर टेलर सहित, 1 सक्शन मशीन, 1 पे लोडर, 1 वाटर टैंकर तथा 5 ऑटो टीपर हैं। ऑटो टीपर को छोड़ कर शेष गाड़ियाँ नगर परिषद द्वारा वर्षो पूर्व क्रय किया गया था तथा ऑटो टीपर का क्रय मार्च 2013 मे किया गया। परन्तु नगर परिषद द्वारा इन गाड़ियों का अभी तक न तो निबंधन कराया गया और न ही बीमा कराया गया जो कि नियम के विरूद्ध है। क्योंकि गाड़ी का निबंधन और बीमा होने के पश्चात ही गाड़ी सड़क पर चलने योग्य है। उपरोक्त गाड़ियों का सवह इववा भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जबाव में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 मे क्रय की गयी ऑटो टीपर के बीमा एंव निबंधन की कारवाई प्रारंभ की जा चुकी है। पूर्व के वर्षो में क्रय की गयी वाहनों का निबंधन एवं बीमा की कर्रवाई की जा रही है।

21. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार कुल स्वीकृत बल 70 है जबकि वर्तमान मे मात्र 35 कर्मचारी ही कार्यरत है। कर्मियों के कमी के कारण लेखाओं को संधारण नहीं किया गया या

132

संधारण में त्रुटियों मापी गयी साथ ही सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः कर्मियों के नियुक्ति हेतु सार्थक प्रयास किये जाने की आवष्यकता है।

जबाव में कहा गया कि इस सन्दर्भ में सरकार से अनुरोध किया जा रहा है तथा वर्तमान में स्थानीय मजदूर से किराये पर कार्य कराया जा रहा है।

22. दैनिक मजदूरी पर व्यय (₹ 187000.00)

सरकार ने विभिन्न पत्रों द्वारा नगर निकायो में दैनिक मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है। परन्तु नगर परिषद, जमुई में रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान दैनिक मजदूरी पर कुल ₹187000.00 व्यय किया गया। जो कि सरकारी आदेश का उल्लघन हैं इस संबंध में संबंधित आदेश लेखापरीक्षा में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

जबाव में कहा गया कि नगर परिषद जमुई में कर्मियों की कमी के कारण अतिरिक्त मानववल को रखना अपरिहार्य है। विषेष कर सफाई व्यवस्था के लिए मानदेय पर ट्रेक्टर चालक/जे0सी0बी0 चालक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को रखा गया है जो दैनिक मजदूरी के श्रेणी में नही आते है।

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट– IV पर)

23 विलोपित

24. एकल निविदा पर कार्य आवंटन

बी0आर0जी0एफ0 के अर्न्तगत निविदा आमंत्रण सुचना – 01/12 के क्रमांक 12 वार्ड न0– 12 पर अंकित कार्य महिसौडी (मध्य) मे रमेश सिंह के घर से ग णेश सिंह के घर तक नाला निर्माण संचिका का नमूना जाँच किया गया।

(1) तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल दो निविदादाताओं द्वारा निविदा समर्पित किया गया। प्रथम – श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय – श्री सत्य काम अग्रधन के राशि वाले कॉलम में श्री सत्य काम द्वारा समर्पित राशि NIL लिखा गया एवं इस मे वाइटनर का प्रयोग वर्जित है एवं यदि कोई गलती हो तो उसे काट कर अद्याक्षर के साथ पुनः लिखा जाना चाहिए।

(2) तुलमात्मक विवरणी के अभियुक्ति मे लिखा गया है कि चूकि सत्य काम द्वारा अग्रधन की राशि नही जमा कि गई है इसलिए सत्य काम का निविदा निरस्त कर कार्य श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को दिया जाता है।

श्री सत्य काम के निविदा को निरस्त की स्थिति में शेष वैध निविदा की संख्या एक हो गयी। ऐसी परिस्थिती मे एकल निविदा के आधार पर कार्य अवंटित करना अनियमित था।

(3) यह भी उल्लेखनीय है कि एकल निविदा को स्वीकार करने की शक्ति सामान्य निविदा स्वीकार करने वाले पदाधिकारी से एक स्तर उच्चे अधिकारी में समाहित होता है। ऐसी स्थिति में मात्र दो निविदादाताओं के मध्य एक का चयन करना नियमों के विरूद्ध था।

जबाव में कहा गया कि व्हाइटनर का प्रयोग सिर्फ लिपिकीय भूल है एवं इसका भविष्य में पुनरावृति नहीं करने का निर्देश दिया गया है। एकल निविदा का निष्पादन सशक्त स्थाई समिति के समक्ष किया गया है

जो कार्यपालक पदाधिकारी से उच्चस्तर का प्रधिकार है। नगर निकाय द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं था।

25. योजनाओं के विलम्ब से क्रियान्वयन के वाबजूद विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं

वर्ष 2012–13 के दौरान B.R.G.F योजना के अन्तर्गत कुल 30 योजनाएँ क्रियान्वयन हेतु ली गई जिससे चार योजना रद्द कर दी गयी एवं एक योजना अभी तक अपूर्ण है। अभिलेखों के अवलोकन मे पाया गया कि इन सभी योजनाओं के लिये कार्यादेश दिनांक 31.03.2012 के निर्गत की गयी एवं इंन योजनाओं को 3 माह के भीतर अर्थात दिनांक 30.6.2012 तक पूर्ण करना था। परन्तु कुल 30 योजना मे से 6 योजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नही किया जा सका। विलम्ब से पूर्ण हुई योजनाओं में समय वृद्धि की अनुमति/ स्वीकृति की सक्षम पदाधिकारी से संबंधित संवेदक द्वारा नही ली गयी। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार तय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण न होने पर संवेदक से एकरारनामा की राशि का 1/2 % की दर से प्रतिदिन जो कि अधिकतम एकरारनामा की राशि का 10% तक हो सकती है, दण्डस्वरूप वसूल करना था। परन्तु नगर परिषद द्वारा विलम्ब से पूर्ण हुये योजनाओं के संवेदकों से विलम्ब शुल्क की राशि ₹119850.00 वसूल नहीं की गयी जिसके कारण नगर परिषद को हानि हुई।

जबाव में कहा गया कि 6 योजनाएँ जो निर्धारित अवधि में पूर्ण नही हुई है उसके सभी संवेदक को नोटिस किया जा रहा है एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट– V पर)

26. एकल निविदा द्वारा योजना का कार्यान्वयन

(1) योजना सं0 26/2012-13 – श्री प्रभात कुमार सिंह संवेदक निवेदित दर – ₹200000.00 योजना का नाम : इलयास के घर से होते हुए श्वैरा जमुई मुख्य सड़क तक नाला निर्माण भुगतान राशि : ₹167900.00 (v.no. 465/26.3.13)

(2) योजना सं0 04/2012-13 श्री कुन्दन कुमार संवेदक निवेदित दर : निरंजन कु0 सिन्हा से कन्हैया के घर तक एवं नित्या सिंह के घर से उपेन्द्र कु0 सिंह के घर तक एवं गोपाल पासवान के घर से अरविन्द्र पासवान के घर तक P.C.C सड़क निर्माण भुगतान राशि :– ₹166600.00 (V. NO. 459/20.3.2013)

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत किया गया। संचिका के अनुसार उपरोक्त योजना हेतु एकल निविदा ही प्राप्त हुआ जिसे नगर परिषद मे स्वीकार करने का कायदिश निर्गत किया। एकल निविदा की स्थिति में इसकी स्वीकृति उच्च पदाधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

1130

जबाव में कहा गया कि दोनो योजनाएँ एकल निविदा के तहत् सशक्त स्थायी समिति के स्तर से अनुमोदित है जो कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्राधिकार है। नगर परिषद द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं है।

27 – विलोपित

28. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गये आपत्तियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में एवं समय– समय पर को चर्चा की गयी।

29. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – शून्य
2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – ₹3136421.00
3. आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– शून्य

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

30. सामान्य अभियुक्तियाँ

नगर परिषद् द्वारा लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक आवष्यक अभिलेख जैसे अनुदान पंजी अनुदान विनियोग पंजी समग्र अग्रिम पंजी परिसम्पति पंजी विभिन्न करों की मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा अग्रिम के सामन्जन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाए जाए।

–हस्ता0–
(रवि कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––––सह–––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

1129

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

— ह0 —
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0/एस0एस0.1/श0स्था0नि0/1461/2140 **दिनांकः– 19.12.14**

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई

19/12/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

(परिशिष्ट ।)

(कंडिका 3 से संदर्भ)

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची

1. लेखापाल रोकड.बही,
2. बैंक एवं कोषागार पासबुक,
3. रोकड.पाल रोकड.बही,,
4. विविध रसीद,
5. रसीद बहियों की भण्डार पंजी,
6. दैनिक संग्रह पंजी,
7. योजना पंजी,
8. योजना अभिलेख, आंशिक
9. अभिश्रव, आंशिक
10. बन्दोबस्ती संचिका,

(परिशिष्ट ।।)

(कंडिका 3 से संदर्भ)

वैसे अभिलेख जो असंधाति थे या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये

1. अनुदान पंजी,
2. ऋण पंजी,
3. पी. एफ. लेखा,
4. मॉग एवं वसूली पंजी,
5. बजट पंजी,
6. परिसम्पत्ति पंजी,
7. वार्षिक लेखा,
8. वाहनों का लौग बुक,
9. सेवा पुस्तिका एवं नियुक्ति संचिका,
10. स्टेशनरी का स्टॉक रजिस्टर,
11. वेतन निर्धारण पंजी,
12. जमा पंजी,
13. अग्रिम पंजी,
14. कबीर अन्त्योष्टि योजना के व्यय से संबंधित अग्रिम एवं अन्य दस्तावेज
15. वाहनों का Log Book

Rajiv ...

AAO

परिशिष्ट - III

जमा पंजी के संधारण नहीं करने के बावजूद संवेदकों को जमा राशि की वापसी दर्शाती विवरणी

(कंडिका - 19)

	V.No / date	Amount	To whom paid
37.	261 / Oct 12	25000	paid to Rajesh Kr. Singh Contractor for return security
38.	[redacted] 271 [redacted] / NOV 12	[redacted] 5000	paid to Bablu Kr. Contractor for return security money
39.	363 / DEC 12	30000	paid to Prabhat Kr. Singh Contractor for return security money

Total :- 60000.00

Total 1 to 39

1 to 18 = 251200.00

19 to 36 = 288000.00

37 to 39 = 60000.00

Total :- 599200.00

	July 12		B.D ward 3
20.	104 / July 12	13000	Paid to Bablu Kr. for return B.D ward 4
21.	112 / Aug 12	6000	Paid to Manoj Kr. Security retu
22.	116 / Aug 12	18000	Paid to Varun Kr. for Security return
23.	117 / Aug 12	15000	Paid to Sailesh Kr. Singh for Security return
24.	118 / Aug 12	15000	Paid to Md. Azim for Security ret
25.	119 / Aug 12	15000	Paid to Gopal Ranjan for Security return
26.	120 / Aug 12	15000	Paid to Javed Akhtar for Security return
27.	121 / Aug 12	15000	Paid to " "
28.	122 / Aug 12	15000	Paid to Shailesh Kr. Singh for Security return.
29.	126 / Aug 12	12000	Paid to Satyakam for Security return.
30.	127 / Aug 12	15000	" " "
31.	128 / Aug 12	15000	Paid to Nilesh Kr. for Security return
32	130 / Aug 12	9000	Paid to Sudhanshu lal for Security return
33.	131 / Aug 12	10000	" " "
34.	132 / Aug 12	10000	" " "
35.	133 / Aug 12	5000	Paid to Narendar Kr. for Security return for Nagar Vikash
36.	260 / Oct 12	25000	Paid to Satyendar Kr. Contractor return for Security money

Total : 988000.

Voucher	Amount	To whom Paid
81 / June 12	15000	~~paid to mukesh kumar~~ Ajodhan return ward 19
82, 83 / June 12	10000	"
84 / June 12	15000	paid to Pawan Kr. Singh for draft return
85 / June 12	15000	paid to Amit Kr. for draft return
86 / June 12	15000	paid to Kamta prasad Singh for draft return
87 / June 12	15000	paid to prabhat Kr. Singh for bank draft return ward 7
88 / June 12	10400	" " ward 11
89 / June 12	15000	paid to Ashok Kr. Singh for bank draft return ward 6
90 / June 12	15000	paid to Kundan Kr. for bank draft return ward 12
91 / June 12	14500	paid to Kundan Kr. for bank draft return ward 24
92 / June 12	15000	paid to Manoj Kr. Singh draft return ward 20
93 / June 12	15000	paid to Sanjay Construction for the bank draft return ward 8
94 / June 12	15000	paid to Barun Kr. Singh for the bank draft return ward 21
95 / June 12	14500	paid to Kaushlendra Kr. Singh for bank draft return ward 14
98 / June 12	15000	paid to Sanjay Construction for bank draft return ward 23
99 / June 12	12000	paid to Gopal Ranjan bank draft ward 13.
100 / June 12	10000	paid to Satyendra Kr. return B.D
101 / June 12	15000	paid to Satyendra Kr. return B.D ward - 5

[illegible]